## **Compensation of Acquired Land**

- **375. SHRI NARENDER GUPTA, M.L.A.**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:
  - a) the total land acquired by the Government for National Highway from Badarpur Border to Ballabhgarh in Faridabad;
  - b) the total compensation given by the Government for abovesaid acquired land; and
  - c) whether the Government has taken possession of all the acquired land; if not, the reasons thereof?

## DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) NHAI on behalf of MoRT&H, Govt. of India has acquired approx.5.76 ha. land along NH-44 from Badarpur Border to Ballabhgarh in Faridabad.
- b) A land acquisition award of ₹93.33 Cr. has been declared by CALA cum LAO Faridabad under the National Highways Act 1956. Out of ₹93.33 Cr., an approx. amount of ₹33.22 Cr. has been disbursed till date.
- c) Possession of 5.51 ha. land has been taken over by NHAI out of total 5.76 ha. acquired land. Possession of balance land is pending on account of pending disbursement of compensation in lieu of land acquisition.

## अधिगृहित भूमि का मुआवजा

- **375.** श्री नरेन्द्र गुप्ता, एम.एल.ए. :— क्या उप—मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे :—
  - (क) फरीदाबाद में बदरपुर बोर्डर से बल्लभगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुल कितनी भूमि अधिगृहित की गई है; तथा
  - (ख) उपरोक्त अधिगृहित भूमि के लिए सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया है; तथा
  - (ग) क्या सरकार ने समस्त अधिगृहित भूमि का कब्जा ले लिया है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

## दुष्यन्त चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

- (क) फरीदाबाद में बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लगभग 5.76 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है।
- (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत रुपये 93.33 करोड़ का भूमि अधिग्रहण मुआवजा सी॰ए॰एल॰ए॰ एवं भूमि अर्जन अधिकारी, फरीदाबाद द्वारा घोषित किया गया है। रुपये 93.33 करोड़ की कुल राशि में से रुपये 33.22 करोड़ का मुआवजा आज तक वितरित किया जा चुका है।
- (ग) कुल 5.76 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि में से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 5.51 हेक्टेयर भूमि का कब्जा ले लिया गया है। शेष बची भूमि का मुआवजा वितरण न होने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका।